



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2-1-2/414/सम्बद्धता आदेश/2021/946

रायगढ़, दिनांक 16.09.2021

// आदेश //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र. 2-1-2/सीट वृद्धि/414/2021/887 दिनांक 10.09.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा, विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर एस.डी.महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नानुसार विषय/पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है :-

सीट वृद्धि

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	पूर्व में स्वीकृत सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
01.	एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र)	35	10	45
02	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)	20	10	30

निर्धारित शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार संबंधित विषयों (रसायन एवं प्राणीशास्त्र) में सहा.प्राध्याकी नियुक्ति यथाशीघ्र की जावे।
4. रसायन एवं प्राणीशास्त्र हेतु नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार 20-20 पुस्तकें एवं 05-05 उपकरणों की खरीदी की जावे।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 20.09.2021 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थायी सम्बद्धता आगामी सत्र से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2-1-2/414/सम्बद्धता आदेश/2021/947

रायगढ़, दिनांक 16.09.2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, एस.डी.महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी (अका.)